संख्या-7/2018/654/53-2-18-16(बजट)/2016

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर,गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 27 अप्रैल,2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना अंतर्गत बजट प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में (जिला योजना-सामान्य अनुदान संख्या-16) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग के पत्रांक-08/दुग्ध-4/नियो0/कृ0-प्रशि0-सामान्य(225)/2018-19, दिनांक-06.04.2018 एवं पत्रांक-58/दुग्ध-4/नियो0/कृ0-प्रशि0-सामान्य(225)/2018-19, दिनांक-20.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध विकास के अन्तर्गत आच्छादित संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख(रू0 एक करोड पचास लाख) **संलग्नक** के अनुसार व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। प्रश्नगत धनराशि का जिलों को आवंटन उनकी मांग के औचित्य का परीक्षण करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस हेतु अनुमन्य है।

(2) उक्त धनराशि जिला सेक्टर हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से उसका वहन करेगा। प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों/नियमों/आदेशों के अनुसारयथानियम कार्यवाही करेंगे।

(4) धनराशि का आहरण करने तथा निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबंधक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे तथा बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखों व बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर बैंक खाते/डाकघर इत्यादि में नहीं रखी जायेगी।योजनावार/जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(6) गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0306 कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2018/654(1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या- 975/53-2-17-16(बजट)/2016
लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2017

शुद्धि-पत्र

कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-803/53-2-17-16(बजट)16, दिनांक 30.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 (लेखानुदान) में प्राविधानित धनराशि रू0 150..00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 62.4850 लाख (रू0 बासठ लाख अडतालिस हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-2 में टंकण त्रुटिवश **"वित्तीय वर्ष 2016-17"** अंकित हो गया है।

2- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-2 में अंकित में **"वित्तीय वर्ष 2016-17"** के स्थान पर **"वित्तीय वर्ष 2017-18"**पढा जाये।

3- कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-803/53-2-17-16(बजट)16, दिनांक 30.06.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

संख्या-(1)/53-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in